न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, सीकर ।

अपील संख्या-43/2016

हनुमानसिंह पुत्र इन्द्रसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम शेखीसर तहसील रामगढ जिला सीकर, राज0।

--अपीलान्ट--

--बनाम--

1- महावीरसिंह पुत्र मोहनसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम शेखीसर तहसील रामगढ जिला सीकरराज0

2- पपूसिंह पुत्र महावीरसिंह
3- विक्रमसिंह पुत्र महावीरसिंह
4- संजूकंवर पुत्री ~~पत्र~~ महावीरसिंह
5- पूनम कंवर पुत्री महावीरसिंह
(2 से 5) जाति राजपूत निवासी आबडसर तहसील रतनगढ जिला चूरू (राज0)

6- उगम कंवर पुत्री स्व0 इन्द्रसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम शेखीसर तहसील रामगढ शेखावाटी जिला सीकर ।

7- तहसीलदार रामगढ शेखावाटी जिला सीकर ।

8- मदनसिंह पुत्र इन्द्रसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम शेखीसर तहसील रामगढ शेखावाटी जिला सीकर (राज0)

--रेस्पोडेन्टस--

अपील विरूद्ध निर्णय दिनांक
9-5-2016 द्वारा उप खण्ड
अधिकारी रामगढ शेखावाटी।
--0--

उपस्थिति-

1- श्री सांवरमल एडवोकेट- अपीलान्ट

2- श्री राजेन्द्र जांगिड एडवोकेट- रेस्पोडेन्ट

3- श्री पवन कुमार स्वामी एडवोकेट- रेस्पोडेन्ट

निर्णय दिनांक - 23.1.2018

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थी/रेस्पोडेन्ट सं0-1 ने अदालत मातहत में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा-212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का पेश कर निवेदन किया कि ग्राम ब शेखीसर की तन में आराजी ख0नं0 7 रकबा 57 बीघा 19 बिस्वा में 1/2 हिस्सा, ख0नं0 70 रकबा 20 बीघा 9 बिस्वा में 1/4 हिस्सा तथा ख0नं0 45 रकबा 2 बीघा 1/2 बिस्वा में 1/4 हिस्सा का खाता गुलाबकंवर बेवा पृथ्वीसिंह के नाम बना हुआ है। जिसकी सदैव से गुलाबकंवर ही काश्त करती आ रही है । गुलाबकंवर ने अपनी प्रथम एवं अन्तिम वसीयत दिनांक 18-4-1998 को प्रार्थी के पक्ष में तहरीर तकमील करवा दी तथा उप पंजीयक फतेहपुर के यहां तस्दीक(रजिस्टर्ड) भी करवा दी । गुलाब कंवर का देहान्त दिनांक 6-11-1998 को हो गया । इसके बाद गुलाबकंवर के हिस्से की आराजी का वसीयत के आधार पर प्रार्थी मालीक एंव काबिज काश्तकार हो गया । इस आराजी पर अप्रार्थीगण का कोई हक हिस्सा नहीं है । अप्रार्थी संख्या-1 से 3 को प्रार्थी के कब्जा काश्त में किसी प्रकार का दखल करने का कोई हक अधिकार नहीं है । अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अप्रार्थी सं0-1 से 3 को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वह प्रार्थी के कब्जा काश्त में किसी प्रकार की दखल अन्दाजी नहीं करें, अप्रार्थी संख्या4 इस आराजी का किसी प्रकार का दस्तावेज पंजीबद्ध नहीं करें। अदालत मातहत ने बाद सुनवाई प्रार्थना पत्र स्वीकार कर लिया । मूल वाद के निर्णय तक यथास्थिति के आदेश पारित कर दिये जिससे क्षुब्ध होकर अपीलान्ट ने यह अपील निम्न आधारो पर पेश की है ।

योग्य अदालत मातहत का निर्णय खिलाफ कानून एवं पत्रावली है । विवादित आराजी में रेस्पोडेन्ट संख्या-1 का कोई सम्बन्ध सरोकार नहीं है । विवादित आराजी अपीलान्ट की पैत्रिक भूमि है। जिसका खाता अपीलान्ट के हिस्से तक का उनके नाम से बना हुआ है । अदालत मातहत ने रेकार्डेड खातेदार काश्तकार को बिना सुनवाई का अवसर दिये ही अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करने का आदेश विधि के विपरित पारित किया है । अदालत मातहत ने अपने

नहीं है, दर्ज किया गया है । जब उभयपक्षों के अधिवक्ता एवं पक्षकार उपस्थित नहीं है तो ऐसी स्थिति में अदालत मातहत को प्रार्थना पत्र अदम हाजरी एवं अदम पैरवी में ही खारिज किया जाना चाहिये था । पक्षकारों बिना सुने ही यथास्थिति का आदेश विधि के विपरित पारित किया है । रेस्पोडेन्ट ने प्रा0 पत्र स्वच्छ हाथों से अदालत मातहत में पेश नहीं किया है । रेस्पोडेन्ट ने महत्व पूर्ण तथ्यो को छिपाते हुये प्रार्थना पत्र पेश किया है। आराजी के हिस्सेदार ओनाडसिंह व गोरधनसिंह जो प्रार्थना पत्र में आवश्यक पक्षकार थे उन्हे बिना पक्षकार बनाये ही प्रार्थना पत्र पेश किया है। अदालत मातहत ने रेकार्डेड खातेदार काश्तकार को बिना सुनवाई का अवसर दिये ही उसे अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करने मे कानूनी भूल की है ।अदालत मातहत का पारित आदेश स्पीकिंग आदेश की श्रेणी में नहीं है। अदालत मातहत ने प्रकरण मे प्रस्तुत दस्तावेजों का कोई अवलोकन एवं मनन न कर आदेश पारित किया है । तथाकथित वसीयतनामा दौराने दावा करवाई है जो सम्पत्ति अन्तरण अधिनियम की धारा-52 के प्रावधानों के अनुसार प्रथम दृष्टया वोईड है । ऐसे वोईड प्रलेख के आधार पर रेकार्डेड खातेदार काश्तकार को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द नहीं किया जा सकता ।अतः अपीलान्ट की अपील स्वीकार कर अदालत मातहत का निर्णय निरस्त किया जावे । विवादित आराजी का खाता अपीलान्ट के पिता के नाम न्यायालय उप खण्ड अधिकारी फतेहपुर द्वारा बउनवानी दावा सं0 182/92 इन्द्रसिंह बनाम गुलाबकंवर में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 25-10-99 की पालना में जरिये नामान्तरकरण सं0-259 के द्वारा बना है । उक्त नामान्तर -करण की अपील रेस्पोडेन्ट संख्या-1 द्वारा अति0 जिला कलेक्टर सीकर के यहां पेश की जो दिनांक 25-8-2007 को खारिज हो गई । जिसकी अपील रेस्पो0 सं0-1 ने अति0 सम्भागीय आयुक्त जयपुर के यहां पेश की जो दि0 21-7-14 को खारिज हो चुकी। जिसकी कोई अपील नहीं की अर्थात नामान्तरकरण संख्या 259 अन्तिम हो गया । जिसकी प्रतिलीपी अदालत मातहत में पेश की जिसका कोई अवलोकन न कर आदेश पारित किया है ।अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार कर अदालत मातहत का निर्णय निरस्त किया जावे ।

अपील दर्ज रजिस्टर की गई । रेस्पोडेन्ट को जरिये नोटिस तलब किया गया । अदालत मातहत की पत्रावली मंगाई जाकर शामिल पत्रावली की गई । बहस विद्वान अभिभाषकगण सुनी गई ।

विद्वान वकील अपीलान्ट ने बहस में अपील मीमों में दर्ज तथ्यों को दौहराते हुये कथन किया कि वसीयत दौराने दावा करवाई है जो विधि के विपरित है । यह वसीयत शुरू से ही वोईड है और वोईड प्रलेख से कोई अधिकार प्राप्त नहीं होते है । जैसा आरएलडब्लू 2003(1) राज0 पेज 526 में स्पष्ट किया है तथा एक रेकार्डेड खातेदार काश्तकार को भी यथास्थिति के आदेश से पाबन्द नहीं किया जा सकता जैसा आरएलडब्लू 2013(1) राज0 पेज 703 एवं 436 में स्पष्ट किया गया है । अपील स्वीकार की जाकर अदालत मातहत का आदेश निरस्त किया जावे ।

विद्वान वकील रेस्पोडेन्ट ने बहस में कथन किया कि अदालत मातहत का निर्णय उचित उवं विधिक है । विवादित आराजी की खातेदारी गुलाबकंवर के नाम से थी गुलाबकंवर ने अपनी इच्छा से प्रथम एवं अन्तिम वसीयत रेस्पोडेन्ट सं0-1 के नाम दिनांक 18-4-1998 को लिखकर उसी दिन उप पंजीयक कार्यालय में रजिस्टर्ड करवा दी तथा उक्त आराजी के अपने अधिकार समस्त मझ रेस्पोडेन्ट संख्या-1 को देते हुये उक्त आराजी पर मेरा कब्जा करवा दिया । इस आराजी से अपीलान्ट का कोई लेना देना नहीं है । अदालत मातहत ने समस्त दस्तावेजों का अवलोकन कर अपना निर्णय पारित किया है । अदालत मातहत के आदेश में किसी प्रकार की कोई विधिक एवं कानूनी भूल नहीं है । अपीलान्ट की अपील खारिज की जावे ।

बहस बगौर समाहत की गई । पत्रावली का अवलोकन किया गया । वसीयतनामा दिनांक 18-4-1998 गुलाबकंवर ने महावीरसिंह रेस्पोडेन्ट संख्या-1 के नाम से की है । जमाबन्दी सं0-2054 से 2057 में ख0नं07 रकबा 14.66 हैक्टर की खातेदारी इन्द्रसिंह दत्तक पुत्र पृथ्वीसिंह हि0 1/2 व गुलाबकंवर बेवा पृथ्वीसिंह हि0 1/2 के नाम दर्ज है । ख0नं0 45 रकबा 0.03 हैक्टर की खातेदारी ओनाडसिंह हि0 1/2, इन्द्रसिंह दत्तक पुत्र पृथ्वीसिंह हि0 1/4, गुलाबकंवर पत्नी पृथ्वीसिंह हि0 1/4 के नाम दर्ज है । ख0नं0 70 रकबा 5.16 हैक्टर की खातेदारी इन्द्रसिंह

सिंह पुत्र हरीसिंह के हि0 1/2 के नाम दर्ज है । राजीनामा दिनांक 21-12-82 में इन्द्रसिंह व पृथ्वीसिंह आदि के मध्य हुये दावे में यह राजीनामा हुआ जिसमें वादी इन्द्रसिंह के दावे को स्वीकार किया है तथा इस दावे एवं राजीनामा में कहीं भी गुलाबकंवर बेवा पृथ्वीसिंह का हिस्सा नहीं माना गया है । मुताबिक राजीनामा दिनांक 12-4-83 को दावा डिक्री किया गया है । अपील में प्रस्तुत राजस्व रेकार्ड का अवलोकन किया गया । विवादित आराजी का अपीलान्ट रेकार्डेड खातेदार काश्तकार है जो उप खण्ड अधिकारी फतेहपुर के निर्णय दि0 12-4-83 से विवादित आराजी के बाबत दावा डिक्री किया है । इससे रेस्पो0 का प्रथम दृष्टया मामला नहीं है । राजस्व रेकार्ड में रेस्पोडेन्ट संख्या-1 का कब्जा प्रमाणित नहीं है । जिससे उसका सुविधा का सन्तुलन भी नहीं है । एक रेकार्डेड खातेदार काश्तकार पाबन्द करने पर अपूर्णीय क्षति भी अपीलान्ट को ही है न कि रेस्पोडेन्ट को । ऐसी स्थिति में प्रस्तुत नजीरों के परिप्रेक्ष्य में अपीलान्ट की अपील स्वीकार किया जाना उचित मानते हैं ।

अतः उपरोक्त विवेचन के परिप्रेक्ष्य में अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है तथा विद्वान उपखण्ड अधिकारी रामगढ शेखावाटी का निर्णय दिनांक 9-5-2016 खारिज किया जाता है ।

निर्णय सरे इजलास आज दिनांक 23.1.2018 को सुनाया गया ।

(भंवरलाल मेहरडा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
सीकर